झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...06......... वर्ष 20..22...

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री जितन मरांडी,
ग्राम-दुखियाडीह, पोस्ट-बुद्धुडीह,
पं0-राशनजोरी, गाण्डेय, गिरिडीह

DISPOSED
28/03/2022

बनाम

प्रतिवादी 1. जिला समाज कल्याण पदा0,
गिरिडीह

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता श्री जीतन मराण्डी एवं अन्य, ग्राम–दुखियाडीह, पो0–बुद्धूडीह, पंचायत–राशनजोरी, गाण्डेय, गिरिडीह का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता श्रीमती उषा देवी पर अपने पद का दुरुपयोग करने, आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार कार्यक्रम के तहत् प्राप्त सामग्रियों का नियमित वितरण नहीं करने आदि का शिकायत किया गया है। उक्त मामले को आयोग द्वारा गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.02.2022 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान पर स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। Ranjan 31/01/2022 C.S.C के द्वारा सहमति नहीं प्राप्त होने की वजह से whatsapp एवं video call के माध्यम से अब अपीलकर्ता को सूचित करें। Ranjan 17/02/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.....9

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्ता श्री जीतन मराण्डी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय उपस्थित रहीं। प्रतिवादी श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा द्वारा बताया गया कि वे माह सितम्बर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय प्रभार लीं हैं। सुनवाई के क्रम में श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। प्रतिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि गाण्डेय प्रखण्ड में आँगनबाड़ी केन्द्रों में पिछले कई माह से 03–06 वर्ष के बच्चों को दिया जाने वाला चावल मात्र वितरित किया जा रहा है। दाल आदि का वितरण राशि आबंटन प्राप्त नहीं प्रभावित होने के कारण स्थगित है। स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निम्न आदेश दिया जाता है:– 1. उक्त केन्द्र से संबंधित category wise 6 माह–3 वर्ष एवं 3–6 वर्ष तक के बच्चे को दी जाने वाली वित्तीय वर्ष– 2021–22 (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022) तक का स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन सारणी बद्ध करके आयोग को प्रस्तुत किया जाय। 2. संबंधित केन्द्र के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित निबंधित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का प्रतिवेदन लेकर प्रस्तुत हों। 3. JSLPS द्वारा दी जाने वाली (THR एवं 3–6 वर्ष के बच्चों) पैकेट का एक sample लेकर उपस्थित हों। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि श्रीमती उषा देवी, आँगनबाड़ी सेविका सुनवाई की अगली तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.02.2022 को निर्धारित की जाती है। Rajani 17/02/2022 (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
एक प्रति पार्टि Mzore 17.2.22		

D:\Premlata\Final Court Order.docx23

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–28.02.2022 को वाद सं0–05/2022 के मामले में सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष से श्री जीतन मराण्डी, गाण्डेय, गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय एवं श्रीमती उषा देवी आँगनबाड़ी सेविका उपस्थित रहीं।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा द्वारा जाँच में वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक) का जाँच प्रतिवेदन आयोग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि पिछले 2 सालो से ग्रामीणों को सही तरीके से पोषाहार का वितरण नहीं किया गया है न ही आँगनबाड़ी केन्द्र को सही तरीके से खोला जाता है न ही सही समय से पोषाहार का वितरण किया जाता है।

आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती उषा देवी के द्वारा बताया गया कि वे दूसरे गाँव से आती है। जिसके कारण वे ससमय आँगनबाड़ी केन्द्र को नहीं खोल पाई थी।

आदेशित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय अपनी उपस्थिति में उक्त ग्राम में एक ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर शिकायत के संबंध में लाभार्थी के परिवार से पूछताछ कर वस्तुस्थिति के बारे में आयोग को प्रतिवेदित करेंगी।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–23 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है।

28.2.22

(शबनम परवीन)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

सुनवाई की अगली तिथि 28/03/22. को होगी।

Ranjana 14/03/2022

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.03.2022 को वाद सं0–06/2022 के मामले में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष से श्री जीतन मराण्डी, गाण्डेय, गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय उपस्थित रहीं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक–24.03.2022 को ग्राम सभा का आयोजन कराया गया। श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा द्वारा ग्राम सभा से संबंधित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं साल–2007 में हुए ग्राम सभा का भी प्रतिवेदन आयोग के समक्ष रखा गया। प्रतिवेदन में यह उल्लेखित था कि गाँव में कोई आँगनबाड़ी सेविका बनने की योग्यता के अनुरूप नहीं होने की वजह से बगल गाँव की महिला श्रीमती उषा देवी को सेविका के रूप में चयनित किया जाए। लेकिन गाँव में योग्यतानुसार महिला मिल जाने पर उसे हटा दिया जाएगा, ऐसा अंकित नहीं था। दिनांक–24.03.2022 को की गई ग्राम सभा में यह बात भी निकल कर आई की जीतन मराण्डी अपनी पत्नी को आँगनबाड़ी सेविका बनाना चाहते है। अतः ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका को ही चेतावनी देकर कार्य कराया जाय। श्री जीतन मराण्डी भी ग्राम सभा में सम्मिलित थे और श्री जीतन मराण्डी इस निर्णय से सहमत है। शिकायतकर्ता श्री जीतन मराण्डी से फोन पर वार्ता के दौरान यह बताया गया कि उन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। Sd/- 28.03.22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 28/03/2022 (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 58	